न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 106/2015/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 2.9.2015
अन्तर्गत धाराः 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1 महावीर दीक्षित आत्मज जमना शंकर दीक्षित जाति ब्राहमण निवासी 87 शोपिंग सेन्टर कोटा।
... अपीलार्थी

बनाम

1 अनिता भारद्वाज पुत्री जमनाा शंकर दीक्षित पत्नी डॉ0 शरद भारद्वाज निवासी 5–एन–19 महावीर नगर तृतीय कोटा।
2 दीया दीक्षित आत्मज महावीर दीक्षित जाति ब्राहमण निवासी 87 शोपिंग सेन्टर, कोटा।
3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अन्ता जिला बांरा।
...रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री वीरेन्द्र राठौर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री धीरेन्द्र मालव अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1

–:::निर्णय:::–

दिनांक 21.12.2017

1 अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0) (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 14/2014 बउनवान अनिता भारद्वाज बनाम महावीर दीक्षित वगेरा अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 मे पारित निर्णय दिनांक 9.3.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 मे इस न्यायालय मे पेश की है।

2 अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मृतक जमना शंकर दीक्षित के खाते ग्राम बमोरी स्थित कृषि भूमि का अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 5.2.2004 के आधार पर अपीलांट ने तहसीलदार अन्ता के समक्ष इंतकाल खोलने हेतु आवेदन पत्र पेश किये जाने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर मृतक जमनाशंकर की भूमि का वसीयतग्रहीता अपीलांट व रेस्पो0 नं0 2 के नाम इंतकाल खोला गया। उक्त इंतकाल से व्यथित होकर रेस्पो0 क्रम–1 ने नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय मे पेश की गई जिसे निर्णय दिनांक 9.3.2015 से रिमांड किया गया। अधीनस्थ/प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर द्वितीय अपील इस न्यायालय मे पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि परीक्षण न्यायालय ने अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर गवाहान व आवेदक के बयान आदि लेखबद्ध कर सम्पूर्ण रूप से जांच कर वारिसान की सूची तलब की गई तथा मृतक के वारिसान का हवाला उक्त वसीयत मे अंकित होने व उक्त वसीयत की जानकारी रेस्पो0 1 को होने के बावजूद भी अपील खारिज न कर प्रकरण को रिमांड करने मे त्रुटि की है। इस तथ्य पर भी ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी मृतक जमनाशंकर ने स्वयं के नाम पर व अपनी पत्नी कमला दीक्षित के नाम

पर खरीद की थी और कमला दीक्षित ने अपनी वसीयत से अपनी भूमि को जमना शंकर को वसीयत की गयी जो नामा0 सं0 512 से जमनाशंकर के नाम दर्ज हो गयी। इस प्रकर उक्त भूमि खरीद की हुई है यह भूमि पुश्तेनी नही है। नियम 12 के तहत तहसीलदार को अनरजिस्टर्ड वसीयत की जांच करने बयान आदि लेखबद्ध करने का पूर्ण अधिकार है अतः तहसीलदार अन्ता का आदेश उचित है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बारां का निर्णय दिनांक 9.3.2015 निरस्त किया जावे व परीक्षण न्यायालय का नामान्तरकरण आदेश यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई। रेस्पो0 क्रम 2 बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने पर तामील पूर्ण मानी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया अपीलांट जमनाशंकर का पुत्र है। जमना शंकर के खाते ग्राम बमोरी स्थित कृषि भूमि का अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 5.2.2004 के आधार पर इंतकाल खोलने हेतु आवेदन पत्र अपीलांट द्वारा तहसीलदार अन्ता के समक्ष पेश किये जाने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर मृतक जमनाशंकर की भूमि का अपीलांट व रेस्पो0 नं0 2 के नाम इंतकाल खोला गया जो नियमानुसार है। अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यो का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर पर अवलोकन कर जेरअपील निर्णय 9.3.2015 पारित कर प्रकरण को रिमांड करने मे त्रुटि की है। क्योंकि रिमांड आदेश मे दिये गये निर्देशो की पूर्व मे ही परीक्षण न्यायालय द्वारा जांच की जा चुकी है। वसीयत फर्जी होने का केस नही है ऐसी स्थिति मे रेगूलर वाद के जरिये ही अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा अपील के बाद रेगूलर वाद पेश किया गया लेकिन उसमे भी वसीयत प्रभावशून्य होने संबधी कथन नही है केवल मात्र धारा 88, 53 राज0 काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है घोषण अथवा वसीयत केन्सीलेशन का दावा नही है, वसीयत को चेलेन्ज नही किया है। वसीयत लीगल है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 9.3.2015 अपास्त किया जाकर परीक्षण न्यायालय का नामान्तरकरण आदेश यथावत रखा जावे।

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 ने बहस मे प्रकट किया कि रेस्पो0 क्रम–1 मृतक जमनाशंकर की पुत्री है जो जमनाशंकर की विधिक वारिस है। परीक्षण न्यायालय ने मृतक खातेदार की आराजी का नामान्तरकरण आदेश पारित करने से पूर्व विधिक वारिस रेस्पो0 क्रम–1 को सुनवाई हेतु नोटिस जारी नही किया ऐसी स्थिति मे अपंजीकृत वसीयत की जांच किये बिना तथा विधिक वारिसान की सुनवाई किये बिना परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश 2.5.2014 विधि के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरीत होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने नामा0 आदेश निरस्त कर प्रकरण पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमांड किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक दोष निहित नही है। बहस मे आगे प्रकट किया कि रेस्पो0 क्रम–1 ने विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा के यहां प्रस्तुत किया हुवा है जिसमे वसीयत पेश की गई है हमने काउंटर रिप्लाई प्रस्तुत किया है ऐसी स्थिति मे पक्षकारान के हकूक उक्त वाद मे तय होगे प्रकरण वर्तमान मे न्यायालय मे पेन्डिंग है अत रेगूलर वाद के निर्णय तक नामान्तरकरण कार्यवाही पेन्डिंग करना चाहिये। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अधीनस्थ न्यायालय का रिमांड आदेश न्यायोचित है। अपने तर्क के समर्थन मे आरआरटी 2007(2) पेज 1054, डीएनजे (राज) 2007(3) पेज 1544, आरएलडब्लू 2006 (1) राज. पेज 494 का न्यायिक उद्धरण प्रस्तुत करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख राजस्व रिकार्ड का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 क्रम–1 पर मनन किया। प्रकरण मे विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्रम–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 रूल 27 सीपीसी एवं संलग्न दस्तावेजात प्रमाणित प्रति दावा, जवाब दावा न्यायालय एडीजे क्रम 2 कोटा का अवलोकन किया। उक्त दस्तावेजात

प्रकरण के निर्णय मे सहायक होने से न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाता है। प्रकरण मे रेस्पो0 क्रम–1 की ओर से प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी के संबध मे पक्षकारान के मध्य विभाजन एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद माननीय न्यायालय जिला न्यायाधीश कोटा मे पेन्डिंग है जिसमे पक्षकारान हक हकूको का निर्धारण होगा। पत्रावली मे उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रश्नगत अपील प्रकरण मे प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 9.3.2015 के अवलोकन से प्रकट है कि महावीर दीक्षित द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर वसीयत दिनांक 5.2.2004 के आधार पर परीक्षण न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा नामान्तरकरण आदेश 2.5.2014 पारित किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व मृतक जमनाशंकर के प्राकृतिक वारिसों को सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया जो विधि के सर्वमान्य सिद्धांतो के विपरीत होने से प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अनिता भारद्वाज (रेस्पो0 क्रम–1) द्वारा प्रस्तुत अपील को निर्णय दिनांक 9.3.2015 द्वारा आंशिक स्वीकार कर तहसीलदार अन्ता द्वारा पारित वसीयती आदेश दिनांक 2.5.2014 को अपास्त कर प्रकरण मृतक जमनाशंकर के सभी वारिसान को सुनवाई व पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर तथा अपंजीकृत वसीयत का परीक्षण व साक्ष्य सबूतो से प्रमाणित होने के उपरांत पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार अन्ता को प्रतिप्रेषित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित होना प्रकट नही होता है। लिहाजा प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुजांइश नही है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 21.12.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा